

[2023] 2 एस. सी. आर 297

स्नीहासिस गिरी और अन्य

बनाम

सुभासिस मित्रा

(अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 352/2022)

02 फरवरी, 2023

[न्या. एस. रवींद्र भट और न्या. दीपांकर दत्ता]

न्यायालय की अवमानना – अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 के कुछ प्रावधानों को उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था – हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों को विधिमान्य और बाध्यकारी घोषित किया - अपीलों के लंबित रहने के दौरान, मदरसों द्वारा कुछ नियुक्तियों की गई - उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद नियुक्त शिक्षकों के वेतन प्रदान करने की मांग को लेकर दायर अवमानना कार्यवाही -में अभिनिर्धारित किया गया: अपील के लंबित रहने के दौरान दिए गए अंतरिम आदेशों के स्वरूप को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है

कि न्यायालय ने नियुक्तियों को उसी हद तक विधिमान्य घोषित किया, जब तक वे संबंधित नियमों और मानदंडों के अनुरूप थीं – इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या न्यायालय ने इस बात पर विचार किया था कि मदरसों ने शिक्षकों को शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में कैसे नियुक्त किया था – इसके अलावा, उन नियमों/विनियमों, लागू परिपत्रों और दिशानिर्देशों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई जिनके संदर्भ में सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान नियुक्तियां कर सकते हैं – अवमानना कार्यवाही में, न्यायालय अपना दायरा नहीं बढ़ा सकता है और उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जो उस निर्णय में निहित निर्देशों/आदेशों का हिस्सा नहीं हैं – जिसके निर्णय में अवमानना का आरोप लगाया गया है – प्रत्यर्थी-कथित अवमाननाकर्ताओं का यह तर्क कि सत्यापन की प्रक्रिया होनी चाहिए, उचित है –आगे की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि प्रत्येक याची (गण) के रोजगार के संबंध में उचित सत्यापन होने तक कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है –याची (गण) के दावों पर विचार करने के लिए यह समिति गठित की गई – पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 – भारत का संविधान - अनुच्छेद 142.

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया:1.1 अपील में उच्च न्यायालय के फैसले ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस न्यायालय ने अपने निर्णय में अधिनियम की वैधता के संबंध में उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों को अपास्त कर दिया। नतीजतन, अधिनियम के प्रावधानों को विधिमान्य और बाध्यकारी माना गया। पैरा

58 में, न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग द्वारा किए गए नामांकनों को विधिमान्य घोषित किया, और उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के निपटान के बाद की गई नियुक्तियों को सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना गया। हालांकि, इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या न्यायालय ने इस बात पर विचार किया था कि मदरसों ने शिक्षकों को शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में कैसे नियुक्त किया था। साथ ही उन नियमों/विनियमों, लागू परिपत्रों और दिशानिर्देशों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है जिनके संदर्भ में सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान आवश्यक शिक्षा के मानक और अपेक्षित अनुभव को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां कर सकते हैं; क्या पारदर्शी तरीका अपनाया गया; संबंधित मदरसे को मान्यता प्राप्त थी या नहीं; क्या व्यक्ति का चयन करने वाली समिति या निकाय का गठन नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया था, आदि। प्रत्यर्थी/कथित अवमाननाकर्ताओं का यह तर्क कि सत्यापन की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसलिए यह उचित और सारवान प्रतीत होता है। इस प्रकार, अपील के लंबित रहने के दौरान दिए गए अंतरिम आदेशों के स्वरूप को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायालय ने नियुक्तियों को उस हद तक विधिमान्य घोषित किया, जब तक वे संबंधित नियमों और बाध्यकारी मानदंडों के अनुरूप थीं। न्यायालय, अवमानना कार्यवाही में अपने दायरे को बढ़ा नहीं सकता है और उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, यानी उस निर्णय में निहित निर्देश या आदेश की सीमा जिसके बारे में अवमानना का आरोप लगाया जा रहा है। [पैरा 6-9][302-एफ; 304-डी-एच; 305-बी]

*सुधीर वासुदेव बनाम एम. जॉर्ज रविशेकरन
(2014) 3*

*एससीसी 373: [2014] 4 एससीआर 27 -
पर भरोसा किया गया।*

1.2 आगे की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि जब तक प्रत्येक याची (गण) के रोजगार के संबंध में उचित सत्यापन नहीं हो जाता तब तक कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह न्यायालय, अवमानना क्षेत्राधिकार के विधिमान्य प्रयोग में, किसी निर्णय के गुणागुण की जांच नहीं कर सकता है, क्या राज्य या मदरसा का पक्ष है कि याची (गण) में से कोई भी संबंधित नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी के रूप में माने जाने के लाभों का हकदार है। [पैरा 10 और 11][306-ई-जी]

जे.एस. परिहार बनाम गणपत दुग्गर (1996) 6 एससीसी 291 :[1996] 6 अनुपूरक एससीआर 110; मिदनापुर पीपल्स कॉप. बैंक लिमिटेड बनाम चुन्नीलाल नंदा (2006) 5 एससीसी 39 - पर भरोसा किया गया।

1.3 संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। आगे के निर्देश जारी किए गए। समिति से अनुरोध है कि गिनाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए याची (गण) के दावों पर विचार करें। [पैरा 17][309-जी-एच; 310-ए]

शेख मो. रफीक बनाम प्रबंध समिति, कौंटी
रहमानिया हाई मदरसा और अन्य 2020
(6) एससीसी 689: [2020] 1 एससीआर
185 - संदर्भित।

निर्णय जन्य विधि संदर्भ

[2020] 1 एससीआर 185 में अनुच्छेद 2 का अनुसरण किया गया

[2014] 4 एससीआर 27 अनुच्छेद 5 में निर्भर है

[1996] 6 अनुपूरक। एससीआर 110 अनुच्छेद 11 में निर्भर है

सिविल अपील/अंतर्निहित क्षेत्राधिकार : अवमानना
याचिका (सिविल) संख्या 352/2022. सिविल अपील
संख्या 5808/2017 में.

एससी नंबर 192/2014 में कलकत्ता उच्च न्यायालय
के दिनांकित 09.12.2015 निर्णय और आदेश से।

के साथ

अवमानना याचिका (सिविल) सं. 513/2022, 565,
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575/2023, 514, 515, 498, 516, 517/2022, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594/
2023, 353, 354, 355, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 494, 512/2022,
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601/2023, 360,
361, 362, 363, 375, 376, 377, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 509, 378, 379, 380, 495, 496,

497, 499, 500, 501, 502, 510, 511/2022, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/2023 और सिविल अपील सं. 768/2023

विजय हंसारिया, पार्थ सारथी भट्टाचार्य, सी. यू. सिंह, हुज़ेफ़ा ए. अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अबू सहेल, राजीव कुमार गुप्ता, परमिंदर सिंह भुल्लर, पिजुष के राँय, श्रीमती काकली राँय, नईमुल हक, राजन के चौरसिया, गौरव चौधरी, चांद कुरेशी, संजय सैनी, राहुल मोहोड़, प्रदीप मोहोड़, शिव कुमार वत्स, रमा कांत शर्मा, डॉ. राम किशोर चौधरी, पुलकित अग्रवाल, अतरूप बनर्जी, सुनंदो राहा, अबू सोहेल, निशांत कुमार, बिश्वरूप भट्टाचार्य, गोलाम मोहिन्ददीन, अनिंदो मुखर्जी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, सुश्री अरुशी मिश्रा, शमशाद, आदित्य समद्वर, एम आर शमशाद, शशांक सिंह, अरिजीत सरकार, सुश्री नबीला जमील, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

न्या. एस. रवीन्द्र भट्ट,

1. एसएलपी (सी) संख्या 3352/2021 में अनुमति दी गई। सिविल अपील संख्या 5808/2017 में अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है। इन्हें ऊपर उल्लिखित शेष अवमानना याचिकाओं के साथ लिया गया है।

2. यह आदेश कई अवमानना याचिकाओं का निपटारा करेगा, जिसमें *शेख मोहम्मद रफीक बनाम प्रबंध समिति*,

कोंटी रहमानिया हाई मदरसा और अन्य¹ में इस न्यायालय के निर्णय की जानबूझकर और सोचे समझे उल्लंघन की शिकायत की गई थी। इस न्यायालय को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रकट किए गए विचार की सत्यता पर विचार करना था जिसमें माना गया था कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 (इसके बाद, "अधिनियम") के कुछ प्रावधान असंवैधानिक थे। उन प्रावधानों ने सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित किया जिन्हें अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता दी गई। इस न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किए कि विचाराधीन प्रावधान, यानी अधिनियम की धारा 8, 10, 11 और 12 विधिमान्य और संवैधानिक थे। साथ ही न्यायालय को इस बात की जानकारी थी कि अपीलों के लंबित रहने के दौरान मदरसों द्वारा कुछ नियुक्तियां की गई थीं और निम्नलिखित थीं:

"58. अंत में, हम आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग द्वारा किए गए सभी नामांकनों को विधिमान्य और प्रभावी घोषित करते हैं। हालांकि, यदि उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के निपटारे के बाद संबंधित मदरसों द्वारा कोई नियुक्तियां की जाती हैं, तो शिक्षकों की ऐसी

नियुक्तियां सभी उद्देश्यों के लिए विधिमान्य मानी जाएंगी। लेकिन इसके बाद आयोग, आयोग अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न मदरसों में शिक्षकों का चयन और नामनिर्दिष्ट करने में सक्षम होगा।

3. सभी याची (गण) ने ये तर्क दिया कि अपील में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी, अधिनियम के प्रावधानों को उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के वेतन प्रदान करने की मांग करते हुए अवमानना कार्यवाही की गई थी। याची (गण) ने दिनांक 10.05.2016, 01.08.2016, 17.05.2018 के अंतरिम आदेशों का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भर्ती किए गए या काम करने वालों को वेतन दिया जाना चाहिए। यह तर्क दिया है कि निर्णय का प्रभाव यह हुआ कि अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए भी, न्यायालय ने याची (गण) की भर्ती को संरक्षित किया। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी अवमाननाकर्ताओं द्वारा किसी न किसी बहाने से उन्हें नियमित सेवा के लाभ से वंचित करना अधिनियम की जानबूझकर और सोची-

समझी अवहेलना है, और उचित कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

4. इस अवमानना कार्यवाही में नोटिस जारी होने और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने 12.07.2022 को प्रत्यर्थी (गण) (कथित अवमाननाकर्ताओं) को याची (गण) के दावों पर विचार करने और यह सत्यापित करने का निर्देश दिया था कि क्या वे कानूनी और विधिमान्य थे और उचित राशि प्रदान करें। 23.02.2022 के बाद के आदेश में देखा गया कि इस न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्तों, विशेष रूप से पैरा 58 से पता चला कि लाभ सीमित नहीं थे और राहत केवल मुकदमे के पक्षकारों को ही नहीं दी गई थी, बल्कि निर्देशों का प्रभाव सर्वबंधी न्यायनिर्णयन पर भी पड़ा। इसलिए न्यायालय ने प्रत्यर्थी अवमाननाकर्ताओं को सभी याची (गण) की पात्रता के संबंध में रिकॉर्ड से सत्यापन करने का निर्देश दिया। अवमानना याची (गण) ने अपने जवाब में यह बताया कि इस न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवमानना याची (गण) के शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी होने या कानून के अनुसार अपेक्षित योग्यता

रखने के उनके दावों की वास्तविकता की पुष्टि किए बिना उनका वेतन प्रदान किया जाए। यह भी बताया गया है कि यह न्यायालय इस बात से अवगत था कि कई नियुक्तियों की गई थीं जो लागू मानदंडों के संबंध में या तो अनियमित थीं या अस्थिर थीं। इस संबंध में प्रत्यर्थी/कथित अवमाननाकर्ताओं ने दिनांक 07.05.2018 के आदेश पर भरोसा करते हुए कहा कि उस आदेश में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि अस्थायी व्यवस्था में की गई व्यवस्थाओं पर कोई इक्विटी नहीं बनाई जाएगी जो सिविल अपीलों में अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

5. प्रत्यर्थी (गण) ने यह भी तर्क दिया कि इस न्यायालय के निर्णय में यानी पैराग्राफ 58 में निहित निर्देशों में -कहीं भी अवमानना याचिकाकर्ताओं सहित किसी के पक्ष में उनके शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी होने या कानून द्वारा निर्धारित अपेक्षित योग्यता होने के उनके दावों के सत्यापन पर जोर दिए बिना वेतन प्रदान करने का स्पष्ट निर्देश नहीं था। आगे यह भी कहा गया है कि भले ही याची (गण) ने पहले के अंतरिम आदेशों पर

भरोसा किया, पर वे केवल कानून के अनुसार पात्रता और सत्यापन के अधीन वेतन प्रदान करने के लिए थे। प्रत्यर्थी (गण) ने इस न्यायालय के *सुधीर वासुदेव बनाम एम. जॉर्ज रविशेकरन*² मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा है अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय कथित रूप से उल्लंघन किए गए निर्णय या आदेश की परिधि को लांघ नहीं सकता है या उन प्रश्नों की जांच नहीं कर सकता है जिनसे निपटा नहीं गया है या उस निर्णय में निर्णित नहीं किया गया है जिसमें उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि अंतिम फैसले में इस न्यायालय ने जो कुछ किया वह अपीलों के लंबित रहने और उच्च न्यायालय के फैसले के दौरान की गई व्यक्तियों की नियुक्तियों को वैध ठहराना था। निर्णय का संदर्भ अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं था कि संबंधित *मदरसे* की अन्य वैधानिक शर्तें जैसे योग्यता, मान्यता या अन्यथा; सहायता अनुदान के लिए इसकी पात्रता; नियुक्ति के समय उम्मीदवार की योग्यताएं; रिक्तियों की मौजूदगी और चयन के तरीके आदि पर विचार नहीं किया जा सका। इस संबंध में कथित अवमाननाकर्ताओं ने भर्ती

नियमों पर भरोसा किया जो भर्ती का तरीका जैसे कि रोजगार अधिसूचना का प्रकाशन; रिक्तियों का रोस्टर; स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करता है कि क्या संस्था सहायता हेतु योग्य और स्वीकृत है या नहीं।

6. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपील में उच्च न्यायालय के फैसले ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस न्यायालय ने अपने फैसले में अधिनियम की वैधता के संबंध में उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों को अपास्त कर दिया। नतीजतन, अधिनियम के प्रावधानों को वैध और बाध्यकारी माना गया। इस अधिनियम में पश्चिम बंगाल के *मदरसों* सहित इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्थानों में नियुक्तियों को विनियमित करने की मांग की गई थी। इस न्यायालय ने प्रासंगिक विवरणों की जांच करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा और *अन्य बातों के साथ-साथ* इस प्रकार कहा:

"54. राज्य विधायिका द्वारा लागू की गई व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करती है कि क्षेत्र के विशेषज्ञों से युक्त आयोग पूरे राज्य में प्रतिभाओं की जांच करेगा; एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया अपनाएगा और

पूरी तरह से योग्यता के आधार पर सर्वोत्तम मौजूद प्रतिभा (उम्मीदवार) का चयन करेगा; और नामांकन करते समय भी अल्पसंख्यक संस्था के हित को भी उचित महत्व दिया जाएगा और उसका ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार वैधानिक प्रावधान शिक्षा में 'उत्कृष्टता' हासिल करना चाहते हैं और अल्पसंख्यक संस्थानों के हित को बढ़ावा देना भी चाहते हैं। प्रावधान परीक्षण को पूरा करते हैं जैसा कि टीएमए पाई फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय के निर्णय में कहा गया है।

55. टीएमए पाई फाउंडेशन मामले में निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इसलिए, संबंधित प्रावधानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित आयोग द्वारा शिक्षकों का चयन और उनका नामांकन राष्ट्रीय हित के साथ-साथ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के हित को भी पूरा करेगा और उक्त प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

56. टीएमए पाई फाउंडेशन मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

हम जानते हैं कि टीएमए पाई फाउंडेशन के बाद ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी, सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और चंदना दास (मालाकार) के निर्णय में, क्या संबंधित अधिकारी अल्पसंख्यक शिक्षण

संस्थानों में नियुक्त होने के लिए शिक्षकों को वैध रूप से नामांकित कर सकते हैं। ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी ने इस सवाल पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया कि क्या नियम वैध थे या नहीं, टीएमए पाई फाउंडेशन मामले में नियमों और विनियमों को सिद्धांतों के अनुरूप लाने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर छोड़ दी। सिंधी एजुकेशन सोसाइटी ने आरक्षण के संदर्भ में इस मुद्दे पर विचार किया। इसमें यह भी पाया गया कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त शिक्षक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं होंगे। चंदना दास (मालाकार) के मामले में मूल मुद्दा यह था कि संबंधित संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। सिंधी एजुकेशन सोसाइटी और चंदना दास (मालाकार) ने वैधानिक शासन व्यवस्था पर विचार किया जिसमें शिक्षकों की अनुकूलता से संबंधित कोई विशेष विशेषताएं या मामले नहीं थे, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की विशेष विशेषताओं के अनुसार आवश्यक किया जा सकता था। हालांकि, तत्कालीन मौजूदा मामले में अतिरिक्त सुविधा से पता चलता है कि इस्लामी संस्कृति और धर्मशास्त्र में गहन ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों पर विशेष जोर देने वाले आयोग की संरचना यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की विशेष जरूरतों और आवश्यकताओं का हमेशा ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार मौजूदा मामला एक अलग स्तर पर है।

इसलिए, हमें टीएमए पाई फाउंडेशन में लिए गए परीक्षण के अनुसार चलने में कोई हिचक नहीं है और हम मानते हैं कि आयोग अधिनियम के प्रावधान किसी भी मामले में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

7. पैरा 58 में, न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग द्वारा किए गए नामांकन को वैध घोषित कर दिया, और उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के निपटारे के बाद की गई नियुक्तियों को सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना गया। हालांकि, इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या न्यायालय ने इस बात पर विचार किया था कि *मदरसों* ने शिक्षकों को शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में कैसे नियुक्त किया था। साथ ही उन नियमों/विनियमों, लागू परिपत्रों और दिशानिर्देशों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है जिनके संदर्भ में सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान आवश्यक शिक्षा के मानक और अपेक्षित अनुभव को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां कर सकते हैं; क्या पारदर्शी पद्धति का पालन किया गया; क्या संबंधित *मदरसा* मान्यता प्राप्त था या नहीं; क्या व्यक्ति का चयन करने वाली समिति या निकाय का गठन नियमों और विनियमों के अनुसार किया

गया था, आदि। प्रत्यर्थी/कथित अवमाननाकर्ताओं का यह तर्क कि सत्यापन होना चाहिए, इसलिए यह योग्य और सारवान प्रतीत होता है।

8. इन परिस्थितियों में, अपील के लंबित रहने के दौरान दिए गए अंतरिम आदेशों की प्रकृति को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायालय ने नियुक्तियों को उस हद तक विधिमान्य घोषित किया है, जब वे संबंधित नियमों और बाध्यकारी मानदंडों के अनुरूप थीं। अगर हम इसके विपरीत कोई धारणा रखते हैं तो यह आवश्यक और बुनियादी मानकों का निर्माण करने वाले प्रावधानों, मानदंडों और दिशानिर्देशों की उपेक्षा करना होगा, जिनके अनुरूप होने की अपेक्षा हर शैक्षणिक संस्थान से की जाती है।

9. इसके अलावा, प्रत्यर्थियों की दलील में दम है कि न्यायालय, अवमानना कार्यवाही में अपना दायरा नहीं बढ़ा सकता है और उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, यानी उस निर्णय में निहित निर्देश या आदेश की सीमा जिसके बारे में अवमानना का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल, सुधीर

वासुदेवा (पूर्वोक्त) के फैसले में, इसे इस प्रकार माना गया था:

“19. अवमानना के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय में निहित शक्ति एक विशेष और दुर्लभ शक्ति है जो संविधान के साथ-साथ न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 दोनों के अंतर्गत मौजूद है। यह एक प्रचंड शक्ति है, जिसका अगर गलत दिशा में इस्तेमाल किया जाए, तो अवमानना के आरोप वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। शक्ति की प्रकृति ही न्यायालयों को अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ उसका प्रयोग करने का पवित्र कर्तव्य सौंपती है। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि अक्सर, अवमानना अभिवाक के न्यायनिर्णयन में उस आदेश के दायरे, अर्थ और प्रभाव के आत्मनिर्णय की प्रक्रिया शामिल होती है जिसके संबंध में अवज्ञा का आरोप लगाया जाता है। इसलिए, न्यायालय को, जिस आदेश की अवहेलना की गई है अथवा जिस आदेश पर प्रश्न उठाया गया है कि इसका निपटान नहीं किया गया है अथवा निर्णीत किए गए निर्णय अथवा आदेश के उल्लंघन करने पर, उस आदेश की अंतर्वस्तु के परे उस पर विचार नहीं करना चाहिए। केवल ऐसे निर्देश जो किसी निर्णय या आदेश में स्पष्ट हैं या स्पष्ट रूप से स्वयंसिद्ध हैं, उन्हें इस विचार के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या उनकी कोई अवज्ञा या जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। निर्णीत मुद्दों को दोबारा नहीं खोला जा

सकता; न ही इक्विटी की याचिका पर विचार किया जा सकता है। न्यायालयों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अवमानना याचिका पर विचार करते समय समीक्षा या अपील जैसे अन्य सुधारात्मक क्षेत्राधिकारों में न्यायालय को उपलब्ध शक्ति का हनन न हो। अवमानना कानून के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा पहले से व्यक्त की गई बातों का पूरक कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए; जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसा अभ्यास न्यायालय में निहित अन्य क्षेत्राधिकारों में अधिक उपयुक्त है। उपरोक्त सिद्धांत बार में उद्धृत उदाहरणों अर्थात् झरेश्वर प्रसाद पॉल बनाम तारक नाथ गांगुली [(2002) 5 एससीसी 352: 2002 एससीसी (एल एंड एस) 703], वी.एम. मनोहर प्रसाद बनाम एन. रत्नम राजू [(2004) 13 एससीसी 610: 2006 एससीसी (एल एंड एस) 907], बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी लिमिटेड बनाम गौतम गोस्वामी [(2008) 5 एससीसी 339] और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सूबेदार देवासी पीवी [(2006) 1 एससीसी 613]" का संचयी परिणाम प्रतीत होंगे।"

10. वर्तमान मामले में भी, इस न्यायालय का यह विचार है कि प्रत्यर्थी (गण) का पक्ष यह है कि याची (गण) की नियुक्ति बिना सत्यापन के की गई एवं क्या इस मामले के संबंध में निहित प्रक्रिया का पालन किया गया जैसे आवश्यक योग्यता शर्तें (आवश्यक अर्हताएं एवं

संबंधित अनुभव); रिक्ति की उपलब्धता; मदरसों के संबंध में स्टाफ जहां मान्यता प्रदान की गई थी एवं यदि की गई थी तो कितनी अवधि के लिए; क्या संस्था सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त थी अथवा नहीं और यदि हां, तो किस अवधि तक; क्या विधिवत रूप से सशक्त चयन निकाय या निकायों ने दावेदार की नियुक्ति से पहले उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया था और क्या व्यक्ति/दावेदार का चयन करने वाली समिति या संस्था का गठन नियमों या दिशा-निर्देशों आदि के अनुसार किया गया था, यह उचित है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि आगे की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि जब तक प्रत्येक याची के रोजगार के संबंध में उचित सत्यापन नहीं हो जाता तब तक कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

11. इसके अलावा, यह न्यायालय, अवमानना क्षेत्राधिकार के वैध अभ्यास में, किसी निर्णय के गुणागुण की जांच नहीं कर सकता है, क्या राज्य या मदरसा का पक्ष है कि संबंधित नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी याची (गण) कर्मचारी के रूप में व्यवहार किए जाने के लाभों का हकदार है। जे. एस.

परिहार बनाम गणपत दुग्गर³ में इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों में अवमानना कार्यवाही के सीमित दायरे को इस प्रकार समझाया है:

“6. तब सवाल यह है कि क्या खंड न्यायपीठ ने ज्येष्ठता सूची को फिर से तैयार करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निर्देश को रद्द करके सही किया था। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. जैन द्वारा यह तर्क दिया गया है जब तक कि विद्वान न्यायाधीश तीन न्यायपीठों द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में ज्येष्ठता सूची तैयार करने में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की सत्यता की जांच नहीं कर लेते तब तक विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित न्यायालय के आदेशों की सोच-समझकर या जानबूझकर अवज्ञा की है या नहीं। इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को आवश्यक रूप से उस सवाल के गुणागुण पर गौर करना होगा। हमें नहीं लगता कि यह तर्क सही है। यह देखा गया है कि सच में प्रत्यर्थी (गण) ने ज्येष्ठता सूची 2-7-1991 को तैयार की थी। इसके बाद पदोन्नतियां की जाने लगीं। सवाल यह है कि क्या अवमानना कार्यवाही में ज्येष्ठता सूची की समीक्षा की जा सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह पिछली पीठों द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है। ऐसा देखा गया है कि एक बार जब न्यायालय द्वारा जारी

निर्देशों के आधार पर सरकार द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उचित मंच में निवारण हेतु एक नया वाद हेतुक उत्पन्न होता है। ज्येष्ठता सूची का निर्माण गलत भी हो सकता है अथवा सही भी हो सकता है अथवा निर्देशों के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन व्यथित पक्ष के लिए न्यायिक समीक्षा के अवसर का लाभ उठाने के लिए यह एक नया वाद हेतुक होगा। लेकिन इसे आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। अवमानना कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा को दोबारा लागू करने के बाद, ज्येष्ठता सूची को फिर से तैयार करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नया निर्देश नहीं दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, विद्वान न्यायाधीश अवमानना कार्यवाही में गुणागुण के आधार पर मामले पर विचार करने हेतु क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहे थे। यह अधिनियम की धारा 12 के तहत स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए, खण्ड न्यायपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश की धारा 18 के तहत शक्ति का प्रयोग किया है; खंड न्यायपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई गलती को सुधारा। इसलिए, राज्य के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर करना आवश्यक नहीं हो सकता है, जब मामला पहले ही खंड न्यायपीठ के पास पहुंच चुका था।

12. बाद के एक निर्णय में, मिदनापुर पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम चुन्नीलाल नंदा⁴ में इस न्यायालय ने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय की सीमाओं को समझाया:

"11. अवमानना कार्यवाही में आदेशों के खिलाफ अपील के संबंध में इन निर्णयों से उभरने वाली स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

I. धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए दंडित करने के अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय के आदेश या निर्णय के खिलाफ ही सुनवाई योग्य है, जो अवमानना के लिए सजा देने वाला आदेश है।

II. सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत न तो अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाला आदेश, न ही अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने वाला आदेश, न ही अवमानना के लिए कार्यवाही बंद करने का आदेश और न ही अवमाननाकर्ता को बरी करने या दोषमुक्त करने वाला आदेश, अपीलनीय है। विशेष परिस्थितियों में, वे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं।

III. अवमानना की कार्यवाही में, उच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि क्या न्यायालय की कोई अवमानना की गई है, और यदि हां, तो सजा क्या

होनी चाहिए और उससे जुड़े मामले क्या होंगे। ऐसी कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर न्यायनिर्णय करना या निर्णय लेना उचित नहीं है।

IV. पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी कोई भी निर्देश या लिया गया निर्णय, "अवमानना के लिए दंडित करने के क्षेत्राधिकार" के अंतर्गत नहीं आएगा और इसलिए, सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलनीय नहीं होगा। एकमात्र अपवाद वह है जहां ऐसा निर्देश या निर्णय अवमानना के लिए दंडित करने वाले आदेश के साथ आकस्मिक या अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील, आकस्मिक या अविभाज्य रूप से जुड़े निर्देशों को भी शामिल कर सकती है।

v. यदि उच्च न्यायालय, किसी भी कारण से, अवमानना की कार्यवाही में पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण से संबंधित किसी मुद्दे पर कोई निर्णय लेता है या कोई निर्देश देता है, तो ऐसा नहीं है कि व्यथित व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं है। इस तरह के आदेश को इंटर-कोर्ट अपील में चुनौती दी जा सकती है (यदि आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश का था और इंटर-कोर्ट अपील का प्रावधान है), या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति मांगी जा सकती है (अन्य मामलों में)।”

13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि इस न्यायालय को प्रत्यर्थियों की स्थिति के गुणागुण पर निर्णय देना है, तो उसे आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करना होगा, और यह तय करना होगा कि क्या कथित अवमाननाकर्ताओं का पक्ष - जहां भी याची (गण) के प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, उसके गुणागुण के आधार पर सही है। यह अभ्यास, स्पष्ट रूप से अवमानना क्षेत्राधिकार के उचित प्रयोग में स्वीकार्य नहीं है।

14. उपरोक्त टिप्पणियां आमतौर पर मौजूदा याचिकाओं के लिए निर्णायक और निपटान करने वाली होतीं। हालांकि, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि राज्य द्वारा की गई सत्यापन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप और देरी होगी और विविध मुकदमेबाजी हो सकती है, जिससे व्यक्तियों और *मदरसों* के कर्मचारियों के सदस्यों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जिनकी नियुक्ति सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद की गई थी।

15. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने एक समिति के गठन का सुझाव दिया था जो सभी प्रासंगिक कारकों

की जांच करेगी और याची (गण) के दावों का सत्यापन करेगी जिस पर बाद में विचार किया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। यह सुझाव राज्य, आयोग और संबंधित *मदरसों* को स्वीकार्य था, जिनका प्रतिनिधित्व श्री राकेश द्विवेदी, श्री सी.यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता कर रहे हैं।

16. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने एक समिति के गठन का सुझाव दिया था जो सभी प्रासंगिक कारकों पर गौर करेगी और याची (गण) के दावों का सत्यापन करेगी जिन पर तब विचार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यह सुझाव राज्य, संबंधित *मदरसों* और याची (गण) को स्वीकार्य था, जिनका प्रतिनिधित्व मेसर्स राकेश द्विवेदी, सी.यू. सिंह, और हुजेफ़ा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, श्री विकास रंजन भट्टाचार्य, और अन्य अधिवक्ताओं ने किया।

17. तदनुसार, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति देबी प्रसाद डे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति

में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधान सचिव पद का अधिकारी भी शामिल होगा, जो पश्चिम बंगाल कैडर में सेवारत रहा है और उच्च शिक्षा विभाग में अनुभव के साथ कोलकाता में तैनात था, साथ ही कोलकाता में रहने वाले पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालयों में से एक के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार भी शामिल होंगे। राज्य सरकार अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों को मनोनीत करेगी। समिति से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए याची के दावों पर विचार करे:

(क) जिस तारीख को नियुक्ति की गई उस दिन क्या मदरसा या उसकी प्रबंध समिति को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी?

(ख) क्या ऐसी नियुक्तियां उन अभ्यर्थियों की की गई थीं जिनके पास आवश्यक निर्धारित योग्यताएं थीं और जो संबंधित पद के लिए निर्धारित अनुभव और अन्य योग्य शर्तों को पूरा करते थे?

(ग) क्या ऐसी नियुक्ति कोलकाता राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11-03-2015 (सं. 93-एसई/एस/10आर-14/2013-9 फरवरी, 2015) और कोलकाता राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04-03-2016 (संख्या 486- एमडी/ओ/2एम-11/2016) में दर्शाई गई भर्ती प्रक्रिया का पालन करके की गई थी?

(घ) क्या नियुक्तियां मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध की गईं और क्या रिक्तियां संबंधित संस्थान/मदरसों के लिए स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप थीं।

(ङ) क्या नियुक्तियां किये जाने के बाद नियुक्त किये गये व्यक्तियों ने वास्तव में अपने-अपने पदों पर कार्य किया?

(च) क्या नियुक्तियां वास्तव में नियुक्ति पत्र की तिथि पर की गई थीं, या पिछली तारीख में की गई थीं?

18. समिति के अध्यक्ष का पारिश्रमिक ₹ 10,00,000/- तथा प्रत्येक सदस्य का पारिश्रमिक ₹ 5,00,000/- होगा। समिति अपना कार्य शीघ्रता से पूरा करेगी; और, आज से चार महीने के भीतर, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो उसके बाद दो महीने के भीतर याची (गण) के संबंध में उचित आदेश पारित करेगी।

19. सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग बढ़ाया जाएगा, जिसे समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा और आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार को आज से चार सप्ताह के भीतर समिति को सूचित करने और अपने दावे के

सत्यापन के इच्छुक लोगों को उचित प्रचार देने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा प्रचार अंग्रेजी और बंगाली दोनों भाषाओं में अखबारों में उचित विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, अधिसूचना राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग, नबन्ना, हावड़ा की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। अधिसूचना में वह समय दर्शाया जाएगा जिसके भीतर अभ्यावेदन किया जा सकता है। यह लाभ का दावा करने वालों के साथ-साथ रिपोर्ट से प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों के लिए भी निर्धारित समय के भीतर समिति के सामने प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला है। समिति इच्छुक लोगों की सुनवाई के लिए एक उपयुक्त और व्यावहारिक तरीके पर भी विचार करेगी।

20. इन याचिकाओं और लंबित आवेदनों/अपीलों का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाता है।

दिव्या पांडे
गया।

याचिकाओं का निपटारा किया

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.